तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/11/2021 [हस्ताक्षर] (अधिवक्ता प्रार्थी) 2015 00337	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा० दी० प्रस्तुत किया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलायी गई। प्रा० पत्र शामिल मिसल किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत धारा 251 A R.A विड्रो करने एवं पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति/स्वतंत्रता देने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे मुख्य मार्ग के पास से जो रास्ता प्रार्थीगण ने सुझाया वह आबादी भूमि से होकर बताया गया है, चूंकि आबादी भूमि के सम्बन्ध मे इस न्यायालय को रास्ता देने की अधिकारिता नही है, इस त्रुटि को दूर कर नवीन प्रार्थना पत्र अन्य खातेदारान की कृषि भूमि से होकर अपनी कृषि भूमि पर जाने के लिए आवेदन धारा 251 A R.A के तहत प्रार्थीगण प्रस्तुत करना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 251 A R.A को विड्रो करने एवं पुनः धारा 251 ए R.A के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का [illegible] रखते हुए यह प्रार्थना पत्र [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो। [हस्ताक्षर] 03/11/2021 (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Su
Bishnoi
Date: 2021.11.29 18:27:58 IS
Reason: SelfAttested